चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सम्बद्धता/667
दिनांक 05.7.2021

सेवा में,

सचिंव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध स्ववित्त पोषित बी0एड0 संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि शीघ्र ही बी0एड0 पाठयक्रम में शैक्षिक सत्र 2021–23 में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग की जाएगी। जिसके क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी0एड0 संस्थानों का नाम काउन्सिलिंग हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय (काउन्सिलिंग विश्वविद्यालय) को प्रेषित किया जाता है। जिसके क्रम में संस्थानों में छात्र/छात्राए आवंटित किये जाते है। जिसके सम्बन्ध में आपसे समय–समय पर सूचनाएँ मांगी जाती है।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय के आदेशानुसार आपसे पुनः अपेक्षा है कि आप अपने संस्थान/महाविद्यालय के बी0एड0 पाठयक्रम में शिक्षकों का तत्काल अनुमोदन करा ले तथा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अनुमोदित/नियुक्त शिक्षकों का डाटा अपलोड कर दे। संस्थान में पूर्व से ही नियमानुसार अनुमोदित शिक्षक कार्यरत है तो तत्काल दिनांक 10.07.2021 तक उपरोक्त शिक्षकों की सूची अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित करें। अन्यथा की स्थिति में बी0एड0 पाठयक्रम में शैक्षिक सत्र 2021–23 में छात्रों के प्रवेश हेतु सम्बन्धित संस्थान/महाविद्यालय का नाम काउन्सिलिंग विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया जाएगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान/महाविद्यालय का होगा। यह भी निर्देशित किया जाता है कि अगर आपके संस्थान के सम्बन्ध में कोई वाद, जाँच की कार्यवाही लम्बित है तो तत्काल उपरोक्त वाद या जाँच की कार्यवाही को पूर्ण कराकर उसकी सूचना भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि संस्थान के प्रबन्ध तन्त्र का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है तो तत्काल संस्थान के नवीन प्रबन्ध तन्त्र के गठन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

03-07-2021

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु।

Lalit (15)

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)